मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क सी–6– 4 /2010/3/एक, भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर, 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलैक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

विषयः–अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बन्धित प्रकरणों में लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त किया जाना–म.प्र.लोक सेवा आयोग का 53वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2009–2010.

संदर्भः–इस विभाग का ज्ञाप कमांक सी–6–3/2007/3/एक, दिनांक 01.10.2007, (2)क सी–6–2/2009/3/एक, दिनांक 15.10.2009, (3)क सी–6–1/2010/3/एक, दिनांक 29.01.2010.

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 53वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009–2010 महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त प्रतिवेदन में आयोग द्वारा निम्नलिखित विन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गयाः–

अ. आयोग की राय/सहमति के लिये भेजे जाने वाले विभागीय जांच/अनुशासनिक कार्यवाही/अपील एवं न्यायालयीन कार्यवाही से संबंधित प्रकरणों में सामान्यतः सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन विभागों द्वारा नहीं किया जाता और भेजे गये अभिलेख व्यवस्थित नहीं होते।

ब. प्रतिवेदन में 18 अनियमित प्रकरणों का उल्लेख है, जिनमें राज्य शासन द्वारा आयोग के परामर्श/सहमति के अनुरूप नहीं वरन् भिन्न स्वरूप के अंतिम आदेश जारी किये गये किन्तु आयोग की अनुशंसा/राय से असहमत होने के बारे में कोई कारण वर्णित नहीं किया गया।

स. आयोग को भेजे जाने वाले प्रस्ताव पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होते तथा अभिलेखों की छायाप्रतियां सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं होते।

द. प्रकरण की स्वयंपूर्ण संक्षेपिका एवं आरोपवार विवरण पत्रक उपलब्ध नहीं कराये जाते।

PTO

2/ उपर्युक्त सम्बन्ध में इस विभाग के द्वारा समय–समय पर जारी संदर्भित परिपत्रों द्वारा निम्नलिखित निर्देश प्रसारित किये गये हैं :–

(1) अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बन्धित प्रकरणों में लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त किये जाने के लिये प्रकरण के अभिलेख व्यवस्थित होना सुनिश्चित किया जाय तथा प्रस्ताव के प्रत्येक पृष्ठ पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर होना चाहिये। इसके साथ ही स्वयंपूर्ण संक्षेपिका एवं आरोपवार विवरण–पत्रक उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

(2) शासकीय सेवकों के विरूद्व अनुशासनात्क कार्यवाही संबंधी प्रस्ताव के साथ निर्धारित प्रपत्र में संपूर्ण जानकारी आयोग को प्रेषित की जाना अनिवार्य है ।

(3) विभागीय जांच में यदि प्रथम वार दोषमुक्ति का निर्णय लिया जाता है तो सामान्यतः आयोग के परामर्श की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है परन्तु यदि ऐसे प्रकरण में आयोग का अभिमत लिया गया हो और आयोग का अभिमत प्रशासकीय निर्णय से भिन्न हो या आयोग द्वारा कोई पृच्छा की गयी हो तो आयोग को उसके द्वारा की गयी पृच्छा अथवा अभिमत से असहमति की स्थिति में असहमति के कारणों से अवगत कराया जाना चाहिये।

(4) आयोग के परामर्श उपरांत यदि मंत्री परिषद् के द्वारा दोषमुक्ति के आदेश दिये जाते हैं अथवा परामर्श से भिन्न निर्णय लिया जाता है तो तदनुसार आयोग को अवगत कराया जाना चाहिये।

3/ शासन अपेक्षा करता है कि उपर्युक्त निर्देशों का कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें। उपर्युक्त स्पष्ट निर्देशों के बावजूद यदि निर्देशों की उपेक्षा की जाती है तो इसें गंभीरता से लिया जाएगा।

11/07/2016
(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग